

“मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत”

परिशिष्ट—एक में (प्रारूप—अ)

योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन मृत्यु होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

प्रति,

कलेक्टर,
जिला.....
(म.प्र.)

स्वयं के हस्ताक्षर
से प्रमाणित पासपोर्ट
साईज स्वयं का
फोटो

निवेदन है कि,

मैं (आवेदक का नाम) आत्मज आयु.....
ग्राम थाना तहसील जिला
का निवासी हूँ।

(1) दिनांक स्थान ग्राम तहसील
जिला श्री उक्त स्थान के कृषक है, का कृषि कार्य
(1 से 9) करते दुर्घटना के कारण दिनांक को निधन हो गया है। शासकीय
चिकित्सक/चिकित्सालय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(2) यह भी निवेदन है कि निधन होने वाले व्यक्ति के लिये किसी अन्य शासकीय संस्था
से सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

(3) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं आवेदक निधन हुए व्यक्ति
का संबंधी हूँ। (संबंध का नाम व विवरण)

अतः अनुरोध है कि सहायता राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

(4) मैं (आवेदक) यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त दावे के संबंध में अथवा प्राप्त राशि के
दावे के संबंध में यह पाया जाये ऐसा दावा या घोषणा असत्य तथ्यों अथवा असत्य जानकारी
अथवा असत्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई हो तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि
वह प्राप्त सहायता राशि को ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर लें एवं असत्य जानकारी के
लिये कानूनी कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर.....
आवेदक का नाम.....
पता :-.....
दिनांक:-.....